राजस्थान–सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27( )ग्राविवि/आईएवाई/जिला/ग्रुप–5/2015–16 जयपुर, दिनांक 12 जुलाई, 2016

बैठक सूचना

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016–17 से प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण प्रारम्भ की गई है। योजना के दिशा–निर्देशानुसार लाभार्थियों को आवास निर्माण हेतु केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा देय अनुदान के अतिरिक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की दृष्टि से राज्य के बैंको/वित्तीय संस्थानों के माध्यम से राशि रू. 70,000/– तक की राशि ऋण के रूप में उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। इस सम्बंध में शासन सचिव ग्रावि की अध्यक्षता मे दिनांक 18.07.2016 को अपरान्ह 3:00 बजे समिति कक्ष, उत्तर पश्चिम भवन शासन सचिवालय, जयपुर में आयोजित की जा रही है। जिसमें निम्न अधिकारीगण अथवा उनके प्रतिनिधि सादर आंमत्रित है।

1. महाप्रबंधक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), जयपुर।
2. क्षेत्रीय प्रमुख, हुडको, हुडको भवन, ज्योति नगर, जयपुर।
3. अधिशाषी अभियंता (अभि.)/ आवास प्रभारी, जिला परिषद समस्त, राजस्थान।

कृपया उक्त बैठक मे स्वयं या अपने किसी समकक्ष प्रतिनिधि को भिजवाने का श्रम करावे।

(के.के. शर्मा) 18/7/16
अधीक्षण अभियन्ता(ग्रावि)

प्रतिलिपि :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, सयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
4. निजी सचिव, शासन सचिव ग्रावि।
5. महाप्रबंधक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), जयपुर।
6. क्षेत्रीय प्रमुख, हुडको, हुडको भवन, ज्योति नगर, जयपुर।
7. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव (मो एवं मू) ग्रावि को विभागीय वेब साईट पर अपलोड करने बाबत।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त, राजस्थान।
9. अधिशाषी अभियंता (अभि.)/ आवास प्रभारी, जिला परिषद समस्त, राजस्थान को भेजकर लेख है इस सम्बंध में वांछित प्रस्ताव/सुझाव का प्रारूप तैयार कर बैठक में भाग लेवे।

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

d:\d drive\parags\official\word-docu\letter.docx